

उनवान:- लालसिंह बनाम रामदयाल वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा घारा 188,88 रा0टि0एक्ट

फर्द अहकाम

वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा 188,88 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। वलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील त्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब र पत्रावली दिनांक 10.01.2019 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

5731-40
2-12-18

वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 1, 3, 4, 7 की ओर से श्री राम रोसी गुप्ता ADV ने वकालतनामा पेश किये का सम्मन पाएते हुए श्रीमो पेश किया। प्रतिवादी नं. 2, 5, 6 के सम्मन अदालत नहीं आये। प्रतिवादी नं. 9 का सम्मन वापिस आ नहीं है। प्रतिवादी नं. 10 कावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। इन्के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। वकालतनामा पेश किये, अदालत सम्मन, व तलबी क्रोन तलबना पेश किये दिनांक 18-2-19 को पेश हो।

1. पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीएसव अधिकारी...
दिनांक... 18-2-19 को पेश हो।

2. वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 1, 3, 4, 7 की ओर से श्री राम रोसी गुप्ता ADV ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 8 की सूचना पत्रावली त-9-19 हो चुकी है। प्रतिवादी नं. 2, 5, 6, 8 के सम्मन तलबना पेश करे। वकालतनामा पेश किये व सम्मन तलबना की दिनांक 27-5-19 को पेश हो।



दिनांक	
--------	--

8-1-24 पतावली पेश हुई। वकील उग्रयपक्षकारण उपस्थित
बाड़ी वकील ने इस्तावेज पेश करने के लिए
समय चाह्य वास्ते इस्तावेज दिनांक 22-1-24
को पेश है।

(5)

22/24

वकुलाय उपस्थित/वार की ओर से कार्य स्थगन रखा
पीतामन अधिकारी धर्मण/मीटिंग/अवकाश पर
दिनांक 11.03.24 को पेश हो

11 3/24

पतावली पेश हुई। वकील उग्रयपक्ष द्विपक्षित
न्यायालय द्वारा बार-बार श्रावण दिलवाये
जाते पर भी उग्रयपक्षकारण व उनके वकील
द्विपक्षित न्यायालय रहे रहे बाड़ी का रत्न
अदम हाजरी कइत फेरी खरीज किया जावत
पतावली फायल शुमार नम्बर से कुग होकर
दाखिल दफ्तर हो।

(5)